


23/2/22

प्रधान मंत्री का कार्य
रिपोर्ट का Rule 10 के
अनुसार प्रकाशित करने
की व्यवस्था की जायेगी
इसके लिए Rule 10 CPC

संबंधित अधिनियम द्वारा
प्रतिष्ठित कोर्ट के अंतर्गत
श्री. संतोषी चिन्ते शिर्षक

अधीन अधिनियम का प्रावधान
अंतिम सुनी गइया 
एन. डी. डी.

द्वयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अदकाय जो इ
द्वयम की तारीख में जारी हुए

तहसीलदार मुन्डावर द्वारा कुर्तेजात प्रस्ताव जर्ने पत्रांक 5301 दिनांक 13-12-24 प्राप्त खेडर शामिल पत्रावली है। वकील वादी की वकालत अन्तिम सुनवाई उपरान्त पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्राप्त कुर्तेजात प्रस्ताव के मध्यवर्ती मध्यस्थ विदित है कि मुताबिक संशोधित शीर्षक की कुर्तेजात प्रस्ताव प्राप्त खेडर शामिल है जिसे वकील वादी ने सही होना स्वीकार किया ऐसी स्थिति में वादीगण के आराजी संख्या नम्बर 996/0-37, 999/0-71, 1000/0-66 हैं। निम्नके दल आराजी संख्या नम्बरान क्रमशः 1160/0-37, 1163/0-71, 1164/0-66 हैं। वकील गण जर्नाई तहसील मुन्डावर जिला - अलवर (राज०) के वाद को अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं मुताबिक प्राप्त कुर्तेजात प्रस्ताव के पदाधारण के प्रथम - प्रथम स्वालेजात कामम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा बैंक रहन की स्थिति में बैंक संशुद्ध राशि पदाधारण को मिलने वाले हिस्से, उक्त आराजी से वसूलीय रहेगी। संशोधित वाद - शीर्षक, कुर्तेजात प्रस्ताव "पुर्वी अ" उक्त अन्तिम निर्णय के अन्तिम अंग रहेगी। उक्तानुसार ही दल राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार स्वालेजात कामम किये जावे। तदनुसार अन्तिम पर्याप्त डिक्री जारी हो। पत्रावली में दल नम्बर से उक्त है। वादपूर्वी दल नम्बर दल नम्बर 1000/0-66 है। उनामा नाम।

उपस्थान अधिकारी
मुन्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी:- पंकज बडगूर्जर (R.A.S.)

दावा संख्या

रजू दिनांक

अन्तिम निर्णय दिनांक

54 / 2019

27 / 03 / 2019

23 / 2 / 2022

1. सत्यवीर पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी पीथडावास तहसील मनेठी जिला रेवाडी, हरि०
2. मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी चौकी न० 2 तहसील व जिला रेवाडी, हरि०

वादीगण

बनाम

1. वेदप्रकाश पुत्र सरजीत
 2. राजेन्द्र पुत्र सरजीत
 3. कर्मवीर पुत्र श्योलाल जातियान जाट निवासीयान जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज०
 4. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राज०
- प्रतिवादीगण

दावा- तकासमा बम्य हु० ई० दवामी

अन्तर्गत धारा- 53 व 188 राज० काश्त० अधि० 1955

-: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अरूण पण्डित की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23/2/2022 को पंकज बडगूर्जर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :- वादीगण के आराजी ख०न० 996/0.37, 999/0.71, 1000/0.66 हैक०, जिनके क्रमशः हाल आराजी ख०न० 1160/0.37, 1163/0.71, 1164/0.66 हैक०, वाके ग्राम जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वादीगण के वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं मुताबिक प्राप्त कूर्रजात प्रस्ताव के पक्षकारान के पृथक पृथक खातेजात कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा बैंक रहन की स्थिति में बैंक रहन राशि पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से वसूलनीय रहेगी। संशोधित वाद शिर्षक एवं कूर्रजात प्रस्ताव "प्रर्दष - अ " अन्तिम निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री के अभिन्न अंग रहेगे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार खातेजात कायम किये जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/2/2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(पंकज बडगूर्जर) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर राज०
जिला अलवर, राजस्थान